



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग
रामनगर (नैनीताल)

dfo_ramnagar@rediffmail.com, दूरभाष/फैक्स नं० 05947-251362



पत्रांक:- 1034 / 12-1
सेवा में

दिनांक, रामनगर

03/11/2020

विषय:- वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी।
मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० 93/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला हाईस्कूल लिंक मार्ग का नव निर्माण कार्य।
सन्दर्भ:- ई०डी०एस० दिनांक 31.01.2020 व अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, रामनगर का पत्रांक 1227/23सी० दिनांक 22.10.2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है।

क्रमांक	आपत्ति	निराकरण
1	Short Narrative of the project does not give adequate information about the proposal [Online para-A-1 (iii) of Part-I]. It should give comprehensive details of the project in brief.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि Short Narrative Para-A-1 (iii) में संलग्न कर दिया गया है।
2	Alternate alignment has been not uploaded at section D (ii) in Form A, Part I. User agency may upload it.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग के निर्माण हेतु न्यूनतम लम्बाई 3.40 किमी० होने एवं कोई वृक्ष प्रभावित न होने के कारण केवल एक ही समरेखण पर विचार किया गया है। जिसे पूर्व में ही अपलोड किया गया है।
3	Please provide separate village wise details with mentioned area at section B- 2.4 in Form A, Part I.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि Village wise details mentioned at Section B- 2.4 in Form A, Part I.
4	Justification has not been authenticated by DFO at section D (i) in Form A, part I. User agency may upload justification with authenticated by DFO.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि Justification upload by authenticated by DFO at section D (i) in Form A, part I.
5	Some other detail has been uploaded in the place of component wise breakup detail at section B- 2.4 in Form A, part I. Please rectify it.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि Component wise breakup detail uploaded at section B- 2.4 in Form A, part I.
6	Same document has been uploaded in the place of Ownership proof, MoU and non encumbrance certificate at section L (iv-f,g,h) in Form A, part I. Please rectify it.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि MoU and non encumbrance certificate uploaded at section L (iv-f,g,h) in Form A, part I.
7	Land scheduled, CA site suitability certificate, CA scheme, Bar chart, Aerial Distance and NPV calculation detail has not been uploaded as additional information in Form A, part II.	Land scheduled, CA site suitability certificate, CA scheme, Bar chart, Aerial Distance and NPV calculation detail uploaded at additional information in Form A, part II.
8	Please show alternate alignment detail in KML file as well as GPS and Toposheet map at section C (iii, iv) in Form A, part I.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग के निर्माण हेतु न्यूनतम लम्बाई 3.40 किमी० होने एवं कोई वृक्ष प्रभावित न होने के कारण केवल एक ही समरेखण पर विचार किया गया है। जिसकी KML File, GPS and Toposheet Map पुनः अपलोड कर दिया गया है।
9	User agency may upload/provide present status of the villages to be benefited in the uploaded KML file in Form A, Part I.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि KML File में लाभान्वित ग्रामों को अंकित कर अपलोड कर दिया गया है।
10	Original copy of the request document (As per the point mentioned above) may be submitted.	Original Copy Submitted.

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक 1034/12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० रामनगर (नैनीताल) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

परियोजना का नाम:-

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी.....III.....
2. हरियाली का घनत्व.....0.3.....
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे०.....6,36,000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....1.665 हे०
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि.....1058940.00


प्रमाणित वन अधिकारी
प्रमाणित वन अधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

नोट :-उक्त सूचना सम्बन्धित प्रमाणित वन अधिकारी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 93/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण।

राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त परियोजना राष्ट्रीय नेशनल पार्क / वन जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। यह परियोजना राष्ट्रीय नेशनल पार्क की सीमा से 25.00 कि०मी० की दूरी पर स्थित है।

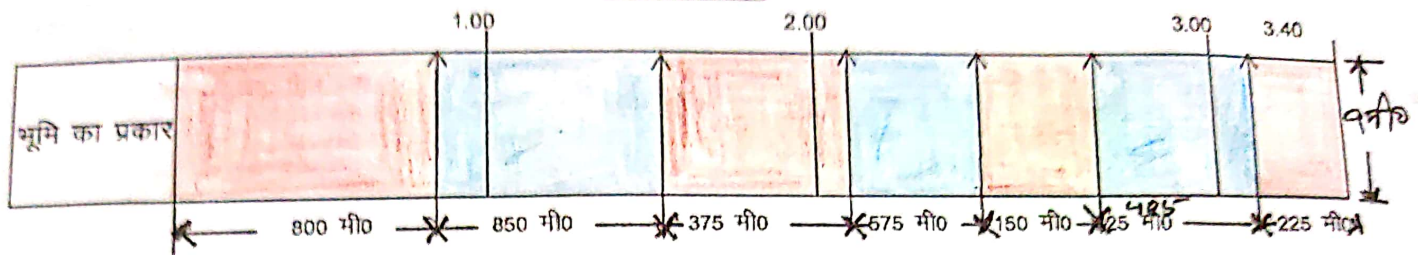
वन क्षेत्राधिकारी

उप प्रभागीय वन अधिकारी
(रामनगर)
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर,

प्रभागीय वन अधिकारी
रामनगर वन प्रभाग
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

परियोजना का नाम :- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 93/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण।

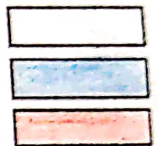
बार - चार्ट



आरक्षित वन भूमि

वन पंचायत भूमि

नाप भूमि



[Signature]
अमीन

नि० ख०, लो०नि०वि०
रामनगर (नैनीताल)

[Signature]
कनिष्ठ अभियन्ता

नि० ख०, लो०नि०वि०
रामनगर (नैनीताल)

[Signature]
सहायक अभियन्ता

नि० ख०, लो०नि०वि०
रामनगर (नैनीताल)

[Signature]
प्रशासिक अधिकारी
रामनगर (नैनीताल)

[Signature]
अधिशाली अभियन्ता
नि० ख०, लो०नि०वि०
रामनगर (नैनीताल)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत अर्धशतक से छोटा हाईस्कूल तक शिक्षा मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुल 3. 330 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

नैनीताल वन क्षेत्र, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

क्र. सं.	कार्य का विवरण	र०	नपत मीटर में			कार्य की मात्रा	ईकाई	दर	धनराशि
			१००	१००	१००				
1	सर्वे व सीमांकन कार्य।	-	-	-	-	3.330	हे०	113.00	376.29
2	क्षेत्र में सफाई व झाड़ी कटान कार्य।	-	-	-	-	3.330	हे०	681.00	2267.73
3	अधिम दीवार बन्दी फेंसिंग।	-	-	-	-	3.330	हे०	33264.00	110769.12
4	अधिम मृदा क्षरण।	1	0.45	0.45	0.45	3.330	हे०	14400.00	47952
5	निरीक्षण सटिका बनाना।	-	-	-	-	3.330	हे०	565.00	1881.45
6	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष।	-	-	-	-	3.330	हे०	13504.00	44968.32
7	अन्य व्यय।	-	-	-	-	3.330	हे०	960.00	3196.8
8	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य।	-	-	-	-	3.330	हे०	15000.00	49950
	कुल योग प्रथम चरण								
1.	गड़का भरान कार्य।	-	0.45	0.45	0.45	3.330	हे०	3200.00	10656.00
2.	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष।	-	-	-	-	3.330	हे०	5376.00	17902.08
3.	पौधों का बुलान कार्य। (75 प्रतिशत बैग तथा 25 प्रतिशत जड़)	-	-	-	-	3.330	हे०	15360.00	51148.80
4.	पौध रोपण तथा धावलाबन्दी कार्य।	-	-	-	-	3.330	हे०	3920.00	13053.60
5.	निराई घड़ाई तथा मल्टिचिंग कार्य।	-	-	-	-	3.330	हे०	3200.00	10656.00
6.	रासायनिक खाद व दवा।	-	-	-	-	3.330	हे०	384.00	1278.72
7.	देखरेख व रख-रखाव कार्य वर्ष में 8 माह।	-	-	-	-	3.330	हे०	5550.00	18481.5
8.	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत सूख घास फूस जलाना आदि।	-	-	-	-	3.330	हे०	450.00	1498.50
9.	सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना।	-	-	-	-	3.330	हे०	320.00	1065.60
10.	प्रोत्साहन व्यय/प्रशिक्षण व्यय	-	-	-	-	3.330	हे०	1360.00	4528.80
11.	अन्य व्यय।	-	-	-	-	3.330	हे०	1800.00	5994.00
	कुल योग द्वितीय चरण								
	तृतीय चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य।	-	-	-	-	3.330	हे०	9275.00	30885.75
	चतुर्थ चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य।	-	-	-	-	3.330	हे०	9275.00	30885.75
	पंचम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य।	-	-	-	-	3.330	हे०	9275.00	30885.75
	कुल योग (तृतीय से पंचम चरण)								
	सषटम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य।	-	-	-	-	3.330	हे०	9275.00	30885.75
	सप्तम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य।	-	-	-	-	3.330	हे०	9275.00	30885.75
	अष्टम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य।	-	-	-	-	3.330	हे०	9275.00	30885.75
	नवम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य।	-	-	-	-	3.330	हे०	9275.00	30885.75
	दशम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य।	-	-	-	-	3.330	हे०	9275.00	30885.75
	वनीकरण क्षेत्रों में अवरोधक निर्माण।	-	-	-	-	17.000		18000.00	306000.00
	कुल योग								
	महायोग क्षतिपूरक वृक्षारोपण								
								or say	950000.00

Chand
वन क्षेत्राधिकारी

नैनीताल वन क्षेत्र राजि
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

प्रभागीय अधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

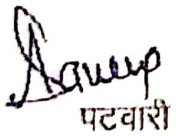
“प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत अमोठ से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुल 3.330 है० ग्राम बगड़ तल्ला के खाता संख्या 32 के खसरा न० 148 मध्ये रकबा 3.330 है० सिविल सोयम भूमि उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्त क्षेत्र का निरीक्षण वन दरोगा करील/दाबका अनुभाग व वन दरोगा करील/दाबका बीट द्वारा किया गया है। क्षेत्र वनीकरण हेतु उपयुक्त है।

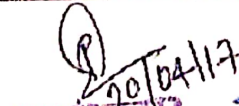
G. Hand
वन क्षेत्राधिकारी
नैना वन क्षेत्र रात्रि
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

21
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

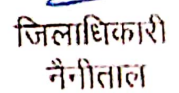
परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 93/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण।
(सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि हेतु राजस्व विभाग द्वारा दिया जाना है)

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकबा	परियोजना की लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	आवृद्धि क्षेत्रफल (हे०)
वन पंचायत भूमि	नैनीताल	नैनीताल	कोटाबाग	1693		400	9	0.3600 हे०
			ग्राम	1544		40	9	0.0360 हे०
			अमोठा	1313		65	9	0.0585 हे०
				1348		20	9	0.0180 हे०
			ग्राम रियाड	682		130	9	0.1170 हे०
			मल्ला	683		160	9	0.1440 हे०
				685		180	9	0.1620 हे०
				786		130	9	0.1170 हे०
				689		115	9	0.1035 हे०
				691		100	9	0.0900 हे०
				706		10	9	0.0090 हे०
				716		80	9	0.0720 हे०
				760		130	9	0.1170 हे०
				816		80	9	0.0720 हे०
				822		160	9	0.1440 हे०
				841		50	9	0.0450 हे०
			योग			1850		1.6650 हे०
नाप भूमि	नैनीताल	नैनीताल	कोटाबाग	-		1550	9	1.3950 हे०
			महायोग			3400		3.0600 हे०

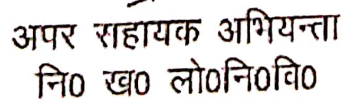

पटवारी

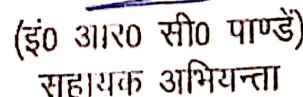

20/04/17
तहसीलदार
नैनीताल
उपजिलाधिकारी

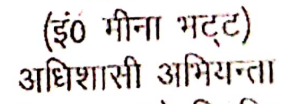

जिलाधिकारी
नैनीताल


जिलाधिकारी
नैनीताल


अमीन
नि० ख० लो० नि० वि०
रामनगर (नैनीताल)


अपर सहायक अभियन्ता
नि० ख० लो० नि० वि०
रामनगर (नैनीताल)


(इ० आर० सी० पाण्डे)
सहायक अभियन्ता
नि० ख० लो० नि० वि०
रामनगर (नैनीताल)


(इ० मीना भट्ट)
अधिशाली अभियन्ता
नि० ख० लो० नि० वि०
रामनगर (नैनीताल)

प्रारूप- 15
लैण्ड शैड्यूल (आरक्षित वन भूमि)
(वन विभाग)

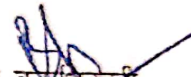
16

परियोजना का नाम :- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 93/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण।

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लॉक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	क्षेत्रफल (है०)
नैनीताल	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर		-शून्य-	-	-	-

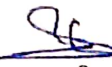

वन क्षेत्र अधिकारी


उप-प्रभागीय वन अधिकारी
(रामनगर)
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर


प्रभागीय वन अधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर


अमीन
नि० ख० लो० नि० वि०
रामनगर (नैनीताल)


अपर सहायक अभियन्ता
नि० ख० लो० नि० वि०
रामनगर (नैनीताल)


(इ० आर० सी० पाण्डे)
सहायक अभियन्ता
नि० ख० लो० नि० वि०
रामनगर (नैनीताल)


(इ० मीना भट्ट)
अधिसासी अभियन्ता
नि० ख० लो० नि० वि०
रामनगर (नैनीताल)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० 93/2015 के अन्तर्गत ग्राम अमोडा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग के नव निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली 1.665 है० वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु दोगुने अर्थात् 3.330 है० के वनीकरण हेतु वन विभाग द्वारा ग्राम तल्ला बगड़ तहसील नैनीताल की सिविल सोयम भूमि का चयन किया गया है। उक्त भूमि वनीकरण हेतु उपर्युक्त होने का प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल द्वारा प्रदत्त किया गया है।

उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व की है एवं राजस्व अभिलेखों में श्रेणी नान ज्येड खाता सं० 32 के खसरा नं० 148 मध्ये रकबा 3.330 है० भूमि सिविल सोयम भूमि के रूप में दर्ज है। जिसे जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश सं० 268/12-ज्येड ए०सी०/2020 दिनांक 29.09.2020 के क्रम में तहसीलदार नैनीताल के आदेश दिनांक 05.10.2020 के द्वारा वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित कर दिया गया है।


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रामनगर (नैनीताल)

आदेश

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत अमोठ रो डोला हाई स्कूल तक लिंक मार्ग के साधेश क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु कुल 3.330 है० सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के संबंध में सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० रामनगर, नैनीताल के पत्र संख्या 131/सी दिनांक 17-06-2020 के अनुपालन में उपर्युक्त मोटरमार्ग के निर्माण के लिये क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नियमानुसार सिविल भूमि को वयनित कर उपजिलाधिकारी नैनीताल के आख्या एवं उराके साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 11-07-2018 के आधार पर ग्राम बगड तल्ला के खाता संख्या 32 के खसरा नम्बर 148 मध्ये रकबा 3.330 है० सिविल भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्तानुसार ही क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार, नैनीताल तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल, वन प्रभाग नैनीताल एवं याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता निर्माण, खण्ड रामनगर, जनपद नैनीताल को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। उपरोक्त आदेश जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन/सहमति उपरान्त जारी किया गया है।

(एस०एस० जंगपांगी
अपर जिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।

पत्र संख्या 268/12-ज्येड०ए०सी०/2020

दिनांक 24-9-2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

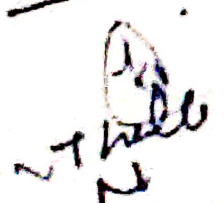
- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल, वन प्रभाग नैनीताल।
- 2- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० रामनगर, नैनीताल।
- 3- उपजिलाधिकारी, नैनीताल।
- 4- तहसीलदार, नैनीताल।


अपर जिलाधिकारी,
नैनीताल।

R6 फेल न. 222
उमाम - 01

R.K.

R.K.



Scanned with
CamScanner

[illegible]

प्रतिवेदन

①

परियोजना का नाम :-

परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 93/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण।

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 93/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग के नव निर्माण कार्य की स्वीकृति शासनादेश संख्या 4520/111 (2)/15-08 (मु0म0घ0) /2015 दिनांक 19.06.2015 द्वारा 6.00 किमी0 मार्ग के निर्माण हेतु ₹ 54.60 लाख की प्राप्ति हुई है। प्रस्तावित कार्य की वन भूमि/नाप भूमि में वारतविक लम्बाई 3.400 किमी0 है। यह मार्ग गलौन से सिमली पातली अमोली अमोठा मोटर मार्ग से प्रारम्भ होकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देवीपुरा सौड मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम रियाड़ मल्ला के स्कूल के पास समाप्त होता है। उक्त कार्य का संरेखण इस प्रकार तय किया गया है कि इस संरेखण में कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है।

उक्त कार्य में वन पंचायत भूमि एवं नाप भूमि पड़ती है। प्रश्नगत मार्ग का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 07.11.2015 को किया गया है (आख्या पृष्ठ 13-13 पर संलग्न है) मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 0.00 मी0 लम्बाई में, सिविल सोयम भूमि 0.00 मी0 लम्बाई में, वन पंचायत भूमि 1850.00 मी0 लम्बाई में तथा नाप भूमि 1550.00 मी0 लम्बाई में प्रभावित हो रही है। इस प्रकार कुल 3.40 किमी0 लम्बाई में इस मार्ग की चौड़ाई 9.00 मी0 ली गयी है तथा वृक्षों की गणना भी 7.00 मी0 चौड़ाई में ही की गयी है। इस प्रकार आरक्षित वन भूमि शून्य, सिविल सोयम भूमि शून्य तथा वन पंचायत भूमि कुल 1.6650 है0 प्रभावित हो रही हैं, की माँग की गयी है जो न्यूनतम है। प्रस्तावित मार्ग दोनों मार्गों को जोड़ने के लिए मार्ग का संरेखण इस प्रकार तय किया गया है कि इस संरेखण में कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है। समरेखण नं0 2 में वृक्ष प्रभावित होने के कारण तथा मार्ग की लम्बाई बढ़ जाने के कारण निरस्त किया गया है तथा समरेखण नं0 1 में कोई भी वृक्ष प्रभावित होने के कारण तथा भू-गर्भीय दृष्टि से उपयुक्त होने के कारण उपयुक्त माना गया है। ग्राम अमोठा एवं ग्राम रियाड़ मल्ला के निवासियों की सहमति को देखते हुए तय किया गया है कि जिस संरेखण पर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया है। मार्ग के समरेखण में कोई मन्दिर, मस्जिद, कब्रिस्तान आदि धार्मिक स्थान नहीं पड़ते हैं। मार्ग का भू-गर्भीय निरीक्षण भूवैज्ञानिक द्वारा कराया गया है। (आख्या पृष्ठ 41-43 पर संलग्न है)। भू-वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित समरेखण को उपयुक्त बताया गया है तथा इस संरेखण में कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

अतः प्रश्नगत मार्ग जिसमें वन भूमि 1.6650 है0, का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण करने की कृपा करे।

(ई0 आर0 सी0 पाण्डे)

सहायक अभियन्ता
नि0 ख0 लो0नि0वि0
रामनगर (नैनीताल)

(ई0 मीना भट्ट)

अधिशायी अभियन्ता
नि0 ख0 लो0नि0वि0
रामनगर (नैनीताल)

वनक्षेत्राधिकारी
कोटा रेंज (लेटी)

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

वनक्षेत्राधिकारी
कोटा रेंज (लेटी)

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर